घोषणा | मुख्यमंत्री ने कहा.. केंद्र सरकार को जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव

एयरपोर्ट का नाम होगा वीरांगना रानी दुर्गावती

नवभारत,जबलपुर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखने के लिए की बुधवार को घोषणा कर दी है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान डॉ. यादव ने स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार ने जबलपुर के सबसे बड़े फ्लाईओवर का नाम भी वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से रखा है और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की मंशा स्वरूप जबलपुर डुमना एयरपोर्ट का नाम भी वीरांगना रानीदुर्गावती एयरपोर्ट रखने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। ये सारी बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्राम नरई नाला स्थित समाधि स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहीं। इस मौके पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि देश में कहीं से भी कोई फ्लाईट से जबलपुर आए तो वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम व उनके बलिदान को पहचान पाए इसके लिए ये प्रस्ताव भेजा जाएगा।

कांग्रेस पर साधा निशाना, आदिवासी सम्मान का किया उल्लेख

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों तक आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में देखा गया, जबकि भाजपा सरकार ने आदिवासी समाज को सर्वोच्च सम्मान देते हुए द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया।

100 करोड़ से तैयार हो रहा नया संस्थान

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ये भी कहा कि जबलपुर में रानी दुर्गावती को समर्पित नया संस्थान 100 करोड़ रूपए लागत से मदन महल के पास तैयार हो रहा है, बहुत जल्द इसका लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर एक चिड़ियाघर (ज़ू) और वन्यप्राणी रेस्क्यू सेंटर बना रही है। इसके साथ ही 35वीं बटालियन मंडला का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा है। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए संकल्पित है, संपूर्ण वर्ष को किसानों के कल्याण के लिये समर्पित करते हुए सरकार ठोस निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि अब किसान बंधुओं के लिए शून्य ब्याज दर लिये गये ऋण को 31 मार्च तक चुकाने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। किसान जिस तारीख को लोन लेंगे, तब से एक साल की समय अवधि में कर्ज चुकाया जा सकेगा। राज्य सरकार 880 करोड़ रुपए का भुगतान वित्तीय संस्थाओं को करेगी।

ओबीसी आरक्षण- 15 जुलाई से डे-टू-डे होगी सुनवाई

जबलपुर। ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने के खिलाफ व पक्ष में दायर की गयी याचिकाओं पर हाईकोर्ट के द्वारा 15 जुलाई से डे-टू-डे सुनवाई की जायेगी। हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक तथा जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने मामलों की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश जारी किये है। गौरतलब है कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में पक्ष व विपक्ष में 86 याचिकाएं दायर की गयी थी। विक्षप में दायर की गयी याचिकाओं में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के द्वारा इंद्र साहनी के मामले में पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया था कि आरक्षण की अधिक सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। इसके अलावा जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की सीमा को नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में 51 प्रतिशत से अधिक ओबीसी वर्ग है। इसके अलावा 14 प्रतिशत सीट होल्ड किये जाने को भी चुनौती दी गयी थी। पूर्व में याचिकाओं पर तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ के समक्ष अंतिम सुनवाई की जा रही थी।

जबलपुर-मण्डला-बिलासपुर रेल लाइन फाइलों में दफन

पांच दशक पुराना संसदीय सच

धनंजय श्रीवास्तव

जबलपुर, नवभारत। देश आज़ादी के 75 वर्षों का अमृत महोत्सव मनाकर गौरवशाली कालखंड में आगे बढ़ चुका है। देशभर में आधुनिक रेलवे, वंदे भारत ट्रेनों और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन महाकौशल (मध्य प्रदेश) और छत्तीसगढ़ के आदिवासी वनांचल की जमीनी हकीकत आज भी कुछ और ही कहानी बयां करती है। नवभारत से बातचीत के दौरान रेल एक्टिविस्ट नितिन सोलंकी ने स्मरण कराया कि जिस मण्डला-बिलासपुर रेल मार्ग को आज की नई पीढ़ी केवल एक अधूरी या काल्पनिक परियोजना के रूप में जानती है, वह वास्तव में पिछले पांच दशकों से देश की संसद में गूंजता रहा एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। हाल ही में लोक सभा के आधिकारिक ऐतिहासिक दस्तावेजों से यह प्रामाणिक तथ्य उजागर हुआ है कि मण्डला-बिलासपुर रेल लाइन की मांग कोई नई या चुनावी मांग नहीं है, बल्कि यह आधी सदी पुराना संसदीय सच है जो नीतिगत इच्छाशक्ति के अभाव में आज भी रेल मंत्रालय की फाइलों में दबा हुआ है और बिलासपुर जिला गजेटियर में भी उल्लेख है कि बिलासपुर से मुंगेली पंडरिया मंडला जबलपुर को जोड़ने का प्लान था।

जब संसद में गूंजा था मण्डला की उपेक्षा का दर्द

08 मार्च 1979 को लोकसभा में रेल बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान तत्कालीन क्षेत्रीय सांसद स्व. श्याम लाल धुर्वे ने इस वनांचल की उपेक्षा का मुद्दा बेहद मजबूती से उठाया था। लोकसभा की आधिकारिक कार्यवाही (हंसाड) में दर्ज उनके शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक और नीतिनिर्माताओं को झकझोरने वाले हैं मैं एक आदिवासी बाहुल्य जिला मण्डला से चुनकर आया हूँ। तीस साल तक इस जिले की बड़ी उपेक्षा की गई है। मण्डला जिला आदिवासियों के साथ-साथ वन संपदा से भरा हुआ है। मण्डला से बिलासपुर के लिए, जिसका सर्वे पहले ही हो चुका है यदि आप इस छोटी सी लाइन को स्वीकार कर लें, तो भी इस जिले को बड़ा लाभ पहुँच सकता है। यहाँ के आदिवासी लोग बहुत सीधे-साधे हैं, वे अपनी आवाज़ नहीं उठाते, सब सह लेते हैं इसलिए मैं रेल मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे मण्डला जिले की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दें।

खनिज संपदा गई, लेकिन रेल नहीं आई

संसदीय बहस के दौरान तत्कालीन सांसद ने इस बात का भी विशेष उल्लेख किया था कि मण्डला क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उच्च गुणवत्ता का बॉक्साइट और सफेद सीमेंट निर्माण के लिए उपयुक्त चूना पत्थर (लाइमस्टोन) मौजूद है। रेल एक्टिविस्ट का कहना है कि यदि वर्ष 1979 में ही इस संसदीय चेतावनी और सुझाव को गंभीरता से लेकर रेल संपर्क विकसित कर दिया गया होता, तो क्षेत्र में बड़े औद्योगिक संयंत्र स्थापित होते और स्थानीय आदिवासी युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ता। दुर्भाग्यवश, पांच दशकों में क्षेत्र का खनिज तो अन्य जरियों से बाहर चला गया, लेकिन अंचल को उसका हक यानी 'रेलवे लाइन' आज तक नहीं मिल सकी।

तकनीकी उलझनों में अटका है विकास

ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़ते हुए विशेषज्ञों ने बताया कि वर्ष 2003-04 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (स्श्मष्ट्रे) द्वारा इस मार्ग का प्रीलिमिनरी इंजीनियरिंग -कम ट्रैफिक सर्वे कराया गया था। परंतु, तत्कालीन रेलवे बोर्ड ने नकारात्मक रेट ऑफ रिटर्न और वित्तीय अव्यवहार्यता का हवाला देकर इस जनहितैषी परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। परियोजना से जुड़ा सबसे बड़ा प्रशासनिक विरोधाभास यह है कि रेलवे के स्वयं के स्थापित नीतिगत निर्देशों के अनुसार, ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का प्रत्येक 10 वर्ष बाद पुनरीक्षण किया जाना अनिवार्य होता है। परंतु, वर्ष 2004 के बाद से आज 2026 तक, यानी पूरे 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी रेल मंत्रालय द्वारा इसका कोई आधिकारिक रिव्यू सर्वे नहीं कराया गया, जो प्रशासनिक शिथिलता को दर्शाता है।

अब केवल 230 किलोमीटर का मिसिंग लिंक

बदली हुई भौगोलिक और तकनीकी परिस्थितियों में अब इस परियोजना का स्वरूप पूरी तरह व्यावहारिक हो चुका है। क्षेत्रीय रेल एक्टिविस्टों और तकनीकी विशेषज्ञों के संयुक्त विश्लेषण के अनुसार जबलपुर से ग्वारीघाट/नैनपुर तक ब्रॉडगेज रेल लाइन का सफल संचालन पहले से ही हो रहा है। छत्तीसगढ़ की ओर से कठघोरा बिलासपुर से पंडरिया के पास से होकर डोंगरगढ़ रेल लाइन तक का हिस्सा विभिन्न स्वीकृत/प्रस्तावित रेल परियोजनाओं और औद्योगिक कॉरिडोर के माध्यम से जुड़ने की दिशा में अग्रसर है इस प्रकार, रणनीतिक और वास्तविक रूप से अब केवल लगभग 230 किलोमीटर का ही नया रेल खंड (मिसिंग लिंक) निर्मित किया जाना शेष रह जाता है।

ओबीसी आरक्षण और एयरपोर्ट नामकरण पर गरजे उमंग सिंगार

नवभारत, जबलपुर। मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बुधवारको जबलपुर दौरे के दौरान ओबीसी आरक्षण और जबलपुर एयरपोर्ट के नामकरण के मुद्दे पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की मंशा ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की नहीं है, वह केवल कानूनी प्रक्रियाओं का हवाला देकर लोगों को भ्रमित कर रही है। मीडिया से अनौपचारिक चर्चा करते हुए सिंगार ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस लेकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ओबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा यह ओबीसी समाज के हक के साथ खिलवाड़ है। सरकार केवल बहाने बना रही है, जबकि प्रदेश का बड़ा वर्ग अपने अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहा है।

डबल इंजन सरकार जवाब दे

जबलपुर एयरपोर्ट का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर किए जाने की मांग को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है तो नामकरण में देरी का कोई औचित्य नहीं है। सिंगार ने सवाल किया, 'आखिर डबल इंजन सरकार कहां है? यदि सरकार वास्तव में गंभीर है तो केवल घोषणाएं करने के बजाय नामकरण की निश्चित तारीख घोषित करे। जनता अब वादे नहीं, ठोस निर्णय चाहती है।'

राजनीतिक सरगर्मियां तेज

नेता प्रतिपक्ष के इस बयान के बाद प्रदेश में ओबीसी आरक्षण और जबलपुर एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग कर रही है, जबकि प्रदेश सरकार का कहना है कि मामला न्यायालयीन प्रक्रिया से जुड़ा होने के कारण नियमानुसार आगे बढ़ाया जा रहा है।

छात्रों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने का सुनाया फरमान

आक्रोशित अभिभावकों ने बजरंग दल के साथ मिलकर जताया विरोध

नवभारत, जबलपुर। कटंगा स्थित कैंट बोर्ड स्वामी विवेकानंद हायर सेकंडरी स्कूल में 6वीं से 9वीं कक्षा के हिंदी मीडियम छात्रों को लाल स्कूल और गोराबाजार स्थित स्कूल में शिफ्ट करने का अचानक निर्णय लिया गया जिसके बाद स्कूल के बच्चों व उनके अभिभावकों का आक्रोश भड़क उठा। इस मुद्दे को लेकर मौके पर जय महाकाल संघ अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया तिवारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे जिन्होंने अभिभावकों के साथ स्कूल प्रबंधन के फैसले का पुरजोर विरोध किया। जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने अपना फैसला वापस ले लिया। तब कहीं जाकर पूरा मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार स्कूल प्रबंधन ने किस कारण ये फरमान जारी किया था इसकी कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है।

पेट्रोल-डीजल बचाने हाईकोर्ट ने जारी की नई गाइडलाइन

एक्टिंग चीफ जस्टिस के आदेश पर हाईकोर्ट खंडपीठों और जिला अदालतों के लिए एडवाइजरी जारी

जबलपुर। देश में ईंधन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और न्यायिक कार्यों को निर्बाध बनाए रखने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप जारी इस एडवाइजरी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर लागू किया गया है। यह निर्देश मप्र हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर खंडपीठों के साथ-साथ प्रदेश की सभी जिला अदालतों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं पर लागू होंगे। नई गाइडलाइन के तहत न्यायालयों में उपलब्ध सरकारी वाहनों के उपयोग को नियंत्रित और व्यवस्थित किया जाएगा। निर्देशों के तहत पूल वाहनों का उपयोग केवल न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों के निवास स्थान के आधार पर रूट-वाइज तथा लोकैलिटी-वाइज वाहन योजना तैयार की जाएगी वाहन की अधिकतम बैठने की क्षमता का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। किसी अधिकारी या कर्मचारी को व्यक्तिगत वाहन सुविधा केवल आपातकाल, सुरक्षा, प्रोटोकॉल अथवा चिकित्सीय आवश्यकता की स्थिति में ही उपलब्ध होगी। अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को कार-पूलिंग की सलाह दी गई है। हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं और कर्मचारियों से सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग तथा टू-व्हीलर पूलिंग को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है। इसके अलावा अधिक व्यस्त मार्गों पर आवश्यकता के अनुसार मिनी बस, ट्रैवलर या अन्य साझा परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जा सकती है। गाइडलाइन में अधिवक्ताओं से विशेष रूप से अपील की गई है कि जहां संभव हो, वे अपने मामलों की सुनवाई और पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करें। इसके साथही प्रशासनिक बैठक और आधिकारिक चर्चाएं भी वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएंगी।

नर्मदा नदी से अवैध रेत उत्खनन व मछली पकडऩे पर रोक बरकरार

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने अपने एक अहम आदेश से नर्मदा नदी के अवैध रेत उत्खनन और अवैध मछली पकडऩे पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले में सरकार को जवाब पेश करने मोहलत प्रदान की है। दरअसल यह जनहित का मामला जबलपुर निवासी अभिषेक कुमार सिंह की ओर से दायर किया गया है।

जिसमें नर्मदा और खिरहनी घाट में अवैध रेत खनन और माहसीर मछली पकडऩे को चुनौती दी गई है। दायर मामले में कहा गया कि माहसीर को राज्य मछली का दर्जा प्राप्त है। नर्मदा और खासतौर पर खिरहनी घाट इस का अवैध रूप से मत्स्याखेट हो रहा है। खासतौर पर ब्रीडिंग के मौसम में माहसीर मछली को पकडऩे पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार लगातार आखेट के कारण मछली की यह प्रजाति विलुप्त हो रही है। इसके संरक्षण के प्रयास के बावजूद अवैध मत्स्याखेट और अवैध रेत खनन के कारण माहसीर प्रजाति पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही न्यायालय को बताया गया कि खिरहनी घाट में प्रशासन ने 6 मार्च 2026 को 2 हाईवा और अवैध रेत भंडारण को जब्त किया था। इसकी सुपुर्दगी खिरहनी के उप सरपंच राजेन्द्र यादव द्वारा की गई थी।

इस पर क्षत्री यादव और उसके भाई ने उप सरपंच को धमकी दी। इतना ही नहीं, उसी रात जब्त की गई अवैध रेत को क्षत्री यादव ने चुरा लिया। नामदज रिपोर्ट के बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने पिछली सुनवाई पर अवैध रेत उत्खनन व मछली पकडऩे पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह पैरवी कर रहे है।

छतरपुर सहित आसपास की मतगणना पूरी, डॉ विजय चौधरी आगे

जबलपुर, नवभारत। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद निर्वाचन 2026 की मतगणना प्रक्रिया 16 जून से पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ निरंतर जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को छतरपुर, बड़ामल्हेरा, बिजावर, राजनगर, नौगाँव, लवकुशनगर, छिन्दवाड़ा एवं तामिया की मतपेटियों की मतगणना सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है। निर्वाचन प्रक्रिया अधिवक्ता समुदाय के व्यापक सहयोग एवं सहभागिता के साथ सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रही है। मतगणना के प्रत्येक चरण में अभ्यर्थियों एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मों की गणना की जा रही है, जिससे संपूर्ण प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनी हुई है। वर्तमान मतगणना में डॉ विजय कुमार चौधरी, राजेश व्यास, डॉ पी.सी कोठारी, जितेन्द्र कुमार व्यास, राकेश सिंह भदौरिया को बढ़त प्राप्त हुई है।

मेडिकल यूनिवर्सिटी को हिस्सों में बांटने गठित होगी समिति

नवभारत,जबलपुर। मप्र मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर को हिस्सों में बांटने के लिए शीघ्र ही एक समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति आर्थिक, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक बिंदुओं के आधार पर समीक्षा करेगी। मेडिकल यूनिवर्सिटी को तीन हिस्सों के बजाय दो हिस्सों में बांटन के प्रस्ताव पर भी मंथन किया जायेगा। फिर समिति के निष्कर्ष के आधार पर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री मंडल परिषद् को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजेगा। ये जानकारी नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपांडे ने पत्रकारों को चर्चा के दौरान दी है। उपभोक्ता मंच ने अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल को बुधवार को पत्र भेज कर निवेदन किया है कि उनकी संस्था को समिति के समक्ष कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। विदित हो कि मप्र मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर को 3 हिस्सों में बांटने का खतरा पिछले कई दिनों से बना हुआ है जिसको लेकर जबलपुर की संस्थाएं विरोध जता रहीं हैं।

दूरभाष पर चर्चा में सामने आई थी बात

मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे सहित अन्य ने दावा करते हुए कहा है कि उनकी विगत 6 जून को एसीसी अशोक वर्णवाल से दूरभाष पर चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 'मेडिकल यूनिवर्सिटी को हिस्सों में बांटने का अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, यदि कोई प्रस्ताव है तो उस पर विचार होगा।

जबलपुर के जनप्रतिनिधि आगे आएं

मंच के पदाधिकारियों के अनुसार समिति गठित करने की पहल अभी हाल ही में की गई है और समिति की जिम्मेदारी किसी आईएएस अधिकारी को दी जायेगी। मंच के पदाधिकारियों ने जबलपुर जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के विखंडन का खतरा बना हुआ है। इसलिए वे आगे आकर आवश्यक कदम उठायें। बुधवार को हुई बैठक में रजत भार्गव, वेदप्रकाश अधौलिया, टी.के. रायघटक, डी.के. सिंह, सुशीला कनौजिया, गीता पांडे, सुभाष चंद्रा, पी.एस. राजपूत, राजेश गिदरोनिया, जी.एस. सोनकर, डी.आर. लखेरा आदि शामिल थे।

ललितपुर पर मेगा ब्लॉक के कारण श्रीधाम सहित अन्य ट्रेनें डायवर्ट

जबलपुर, नवभारत। ललितपुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के चलते पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों पर व्यापक असर पड़ने वाला है रेलवे के अनुसार 10 से 21 जुलाई के बीच 6 ट्रेनें पूरी तरह निरस्त रहेंगी, जबकि 12 से 20 जुलाई के बीच 34 ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे। जिसमें जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस भी शामिल है ललितपुर स्टेशन पर 1 जुलाई से 1 अगस्त तक प्री-नॉन इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग और पोस्ट इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस दौरान ट्रैक और सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे भविष्य में ट्रेनों का संचालन अधिक सुरक्षित और तेज हो सके।

इनके बदले गए रूट

इटारसी-जबलपुर-कानपुर मार्ग-16093 - एमजीआर चेन्नई-लखनऊ एक्सप्रेस (14 व 18 जुलाई), 12943 - बांद्रा टर्मिनस-कानपुर एक्सप्रेस (15 जुलाई), 12944 - कानपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस (17 जुलाई), बीना-दमोह-कटनी मार्ग (17 से 21 जुलाई)-14115 - डॉ. अंबेडकर नगर-प्रयागराज एक्सप्रेस (18-20 जुलाई), 14116 - प्रयागराज-डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस (17-21 जुलाई) 19483 - अहमदाबाद-सहरसा एक्सप्रेस (18-20 जुलाई)।

मानहानि प्रकरण | पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने दायर किया था मानहानि का प्रकरण

राहुल गांधी ने अपने बयान पर लिखित में व्यक्त किया खेद

जबलपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मानहानि के प्रकरण में अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया है। हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई निर्धारित की है।

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए आवेदक का नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची। एमपी-एमएलए कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी किये थे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि के प्रकरण तथा न्यायालय द्वारा जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को अधीनस्थ कोर्ट का रिकॉर्ड पेश करने निर्देश जारी किये थे। याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इसके अलावा एमपी-एमएलए कोर्ट में 25 जून को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट प्रदान करने आवेदन दायर किया गया। एकलपीठ ने आवेदन पर बुधवार 24 जून को सुनवाई करने के निर्देश जारी किये थे। याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया। आवेदन में कहा गया था कि उनका बयान शिकायतकर्ता के संबंध में नहीं था। एकलपीठ ने आवेदन पर गुरुवार की निर्धारित की है। शिकायतकर्ता की तरफ से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पैरवी की।

दो माह में 748 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित

जबलपुर, नवभारत। दो माह के दौरान मंडल रेल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मधुर वर्मा के नेतृत्व में दौरान जबलपुर रेल मंडल द्वारा कुल 7.49 मिलियन टन माल लदान किया गया, जिससे मंडल को 748 करोड़ 54 लाख रुपये का रिकॉर्ड रेल राजस्व प्राप्त हुआ है। जबलपुर रेल मंडल द्वारा मंडल के सभी स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में निरंतर विस्तार के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की माल ढुलाई हेतु व्यापारियों एवं औद्योगिक इकाइयों को शिकायत रहित, समयबद्ध एवं विश्वसनीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57